महाप्रबंधक कार्यालय
पश्चिम मध्य रेल,
इंद्रा मार्केट, जबलपुर

निम्नलिखित गाड़ियों में लगेंगे अतिरिक्त कोच

रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों को हमेशा ही अच्छी सुविधाएं दिये जाने का प्रयास किया जाता है। अत्याधिक यात्री दबाव को देखते हुए हमेशा से ही ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाये जाते रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेल पर चलने वाली विभिन्न गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाये जा रहें हैं, इन गाड़ियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क	गाड़ी सं.	स्टेशन से स्टेशन तक	दिनांक	श्रेणी
1	**12187**	जबलपुर– छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराज (गरीबरथ एक्सप्रेस)	**15.06.2019**	1 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी
2	**19803**	कोटा–श्रीमाता वैश्णोदेवी कटरा एक्सप्रेस	**15.06.2019**	2 शयनयान द्वितीय श्रेणी

रेल प्रशासन यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प हैं
———————————————————————————————————

संख्याः पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/134/2019 दिनांक 14.06.2019
सम्माननीय संपादक

कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें.

‘सधन्यवाद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

महाप्रबंधक कार्यालय
पश्चिम मध्य रेल,
इंद्रा मार्केट, जबलपुर

रेल सुरक्षा बल, प.म.रे. द्वारा रेल टिकिटो का अवैध व्यापार करने वाले रेल टिकिट दलालों के विरूद्ध आपरेशन–थंडर के तहत की कार्यवाही

ग्रीष्म अवकाश, स्कूलों की छुट्टियाँ तथा शादी विवाह का मौसम होने के कारण ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ चल रही है। ऐसी सूचना मिल रही थी कि स्थिति का फायदा उठाते हुए अराजक तत्व टिकट काउंटर एवं ई–टिकटिंग सुविधा का दुरूपयोग करते हुए, फर्जीवाड़ा कर, ऊँचे दामों पर रेल टिकटों की कालाबाजारी करते हैं। इस प्रक्रिया में वह आमजन को टिकटों की उपलब्धता से वंचित कर रहे है साथ ही IRCTC की वेबसाइट में दी गई यात्री सुविधा का दुरूपयोग कर सामान्य लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं।

महानिदेशक/रे.सु.ब. श्री अरुण कुमार ने अखिल भारतीय स्तर पर तकनीकि एवं आईटी सेल की मदद से ऐसे सभी संदिग्धों को चिन्हित करते हुए उनके गतविधियों की सभी खुफिया जानकारी एकत्रित करवाई तथा इनके विरुद्ध व्यापक कार्यवाही हेतु योजना बनाई। इन सूचनाओं को सभी संबधित क्षेत्रीय रेल के रे.सु.ब. प्रमुखों से अत्यंत गोपनीय रूप से साझा किया गया तथा पुरे देश में एक साथ एक ही दिन एवं एक समय छापेमारी की योजना तैयार की गई। फील्ड अधिकारियो को संदिग्धों के संबंध में छापेमारी के पूर्व उनका पूर्ण सत्यापन करने के निर्देश जारी किये गए थे। कार्यवाही की व्यापकता तथा गंभीरता को देखते हुए, छापेमारी को सफल बनाने हेतु एक ही तिथि अर्थात 13 जून 2019 निर्धारित की गई तथा इसे ऑपरेशन थंडर का नाम दिया गया

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार दिनांक 13..06.2019 को पश्चिम मध्य रेल के तीनों मण्डलों में रेल टिकिटों का अवैध कारोबार करने वाले रेल टिकिट दलालों के विरूद्ध एक दिवसीय आपरेशन–थंडर संचालित कर 14 सफल रेड के माध्यम से 2073 रेल टिकिट, जिनका मूल्य रू. 35,75,660/– (रू. पैतीस लाख पचहत्तर लाख छह सौ साठ) है, को जप्त कर 14 व्यक्तियों के विरूद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत् गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई । रेल सुरक्षा बल, पश्चिम मध्य रेल द्वारा की गई कार्यवाही से जहां रेल टिकिट का काला कारोबार करने वालों में दहशत व्याप्त है वहीं आमजन में गर्मी के मौसम में इस तरह की कार्यवाही से संतोषयुक्त माहौल है। जिसकी चारो ओर प्रंशसा हो रही है।

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/प.म.रे/जबलपुर द्वारा प.म.रे. के तीनों मण्डलों को निर्देशित कर अवैध टिकटों का कारोबार करने वाले टिकिट दलालों के विरूद्ध रेल अधिनियम के तहत् लगातार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये है।

इसी प्रकार पूरे भारत में सभी क्षेत्रीय रेलवे में ऑपरेशन थंडर के तहत 141 शहरों में 276 स्थानों में एक साथ छापामारी की गई, जिसमें 387 टिकिट दलाल पकड़े गये। सभी संदिग्ध यूजर आईडी तथा जब्त टिकिटों को निष्क्रिय किये जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

संख्याः पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/135/2019 दिनांक 14.06.2019

सम्माननीय संपादक

कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें. 'सधन्यवाद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर